न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 1/2017
दिनांक : 19.06.2017
निर्णय दिनांक : 20.06.2024

उनवान

1. रामलाल पिता अमरचन्द बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
2. मोडू पिता अमरचन्द बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
3. रूपी पुत्री अमरचन्द बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
4. सोहनी पुत्री अमरचन्द बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
5. होकमा पिता केला भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
6. नाथू पिता दला भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
7. मांगीलाल पिता कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
8. सुखलाल पिता कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
9. मोहन पिता कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
10. चुन्नीलाल पिता कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
11. अणछाई पिता कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
12. रामी बेवा कालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
13. भैरा पिता बालू भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
2. मदनलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
3. बोतलाल पिता रामचन्द जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
4. जीतमल पिता रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
5. रतनलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
6. अणछाई पिता रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
7. गुलाबी पुत्री रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
8. गीता पुत्री रामचन्द्र जाट निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
9. लालूराम पिता रूपा भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
10. बाबरी पिता रूपा भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
11. परथी पिता रूपा भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
12. टांकू बेवा रूपा भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
13. रतू पिता दोला रूपा भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
14. नानू पिता दोला भील निवासी दौलतपुरा तहसील भूपालसागर
15. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री एस.एन. झंवर, अधिवक्ता अप्रार्थी
3. श्री मनोज जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

यह है कि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का मुरला के आ.सं. 32, 349, 350, 351, 352, 353, 433/356 किता 7 रकबा 2.37 है. भूमि स्थित है तथा आ.सं. 11, 33, 34, 35, 36, 39, 40 किता 7 रकबा 1.77 है. जो प्रार्थीगण पर संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है। सबूत में हाल जमाबंदी हाल नक्शा पेश है। इन आराजियात पर आने जाने के लिये सदियों से रास्ता कायम है यह रास्ता आ.सं. 19 व 20 में नक्शे में रास्ता दर्ज है और 19 में मौके पर आलामात है, से होकर आ.सं. 32, 18 व 13 की पूर्वी मेड पर होते हुऐ आ.सं. 11, 12 में पहुंचता है इस रास्ते को अप्रार्थीगण बंद कर रहे हैं। प्रार्थीगणों क पास इस रास्ते के अलावा अन्य विकल्प में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगणों का एकमात्र आमदनी का जरिया कृषि काश्त ही है। वर्तमान नक्शे में आम रास्ता आ.सं. 110 से लगता हुआ आ.सं. 20 में रास्ता दर्ज है, आगे 19 की पूर्वी मेड़ पर होते हुऐ आ.सं. 32 की पश्चिमी मेड पर होते हुऐ आ.सं. 18 की उत्तर दिशा में जाते हुऐ आ.सं. 13 की पूर्वी मेड पर होते हुऐ प्रार्थीगणों की अन्य आराजियात व आ.सं. 11, 13 पर पहुंचता है। यह रास्ता सदियों से चालू है लेकिन पिछले 2–3 महिनों से अप्रार्थीगण रास्ता के आलामात मिटाते हुऐ रास्ते में आने जाने से रोक रहे हैं प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुऐ आगे भी करना चाहते हैं। इसके लिये अप्रार्थीगणों को कई बार रास्ता अवरूद्ध नहीं करने के लिये कहा लेकिन नहीं माने इसलिऐ प्रार्थीगण चाहते हैं कि रिकार्ड में दर्ज रास्ते के आगे अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में रास्ता कायम कराने के लिये नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की आराजियात पर पैदल आने जाने, सज सामन्द, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, मवेशी आदि ले जाने हेतु आ.सं. 20, 19, 18, 13 में जाने रास्ता स्थित है जो आ.सं. 11, 12 व 3 तक जाता है रास्ता को चालू कराया जावे एवं नक्शे में दर्ज रास्ते के अलावा नियमानुसार राशि जमा कर रास्ते को रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने दौरान बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 व 4 की मृत्यु हो चुकी है, इनके न तो कायम मुकाम पेश किये हैं, न ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है तथा न ही दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है, कानूनन अप्रार्थीगण की मृत्यु के 90 दिवस में कायम मुकाम पेश करने आवश्यक है जबकि प्रार्थी द्वारा लम्बा समय बीत जाने के बाद भी कायम मुकाम पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र अबेट किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

–:: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम पेश, मृत्यु प्रमाण पत्र व दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र अबेट किया जाना उचित पाया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कायम मुकाम व मृत्यु प्रमाण के अभाव में अबेट किया जाता है। निर्णय दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर